बाल विवाह की मुख्य वजह अशिक्षा

पटना : बाल विवाह का मुख्य कारण गरीबी नहीं, बल्कि अशिक्षा है. ये बातें समाज कल्याण मंत्री दामोदर रावत ने बुधवार को होटल चाणक्य में महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग व यूनिसेफ द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध परामर्शी कार्यशाला में कहीं. उन्होंने कहा कि केवल कानूनी कार्रवाई से इस समस्या का हल नहीं हो सकता.

■ सिर्फ कानून के सहारे समस्या का हल नहीं : रावत

■ बाल विवाह पर कार्यशाला

इसके लिए लोगों में जागरूकता की जरूरत है. श्री रावत ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलायी जा रही हैं. साइकिल योजना शुरू होने से पहले नौवीं कक्षा में महज एक लाख, 75 हजार लड़कियां ही स्कूल जाती थीं. अब यह संख्या बढ़ कर चार लाख, 70 हजार हो गयी है. बिहार सरकार महिलाओं का जीवन स्तर उठाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है. यूनिसेफ के बिहार क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख डॉ यामिन मजूमदार ने कहा कि यह बताना मुश्किल है कि कितनी प्रतिशत बालिकाओं की शादी कम उम्र में हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर शादियों का पंजीकरण ही नहीं होता है. उन्होंने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए बिहार सरकार ने जो कार्यक्रम बनाया है, वह सराहनीय है. यूनिसेफ हमेशा इस काम में सहयोग के लिए तत्पर रहेगा. महिला विकास निगम की प्रबंधक निदेशक डॉ एन विजय लक्ष्मी ने कहा कि समाज में रहनेवाले लोगों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है. जब तक हम इसे दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश विकासशील देश ही कहा जायेगा. उन्होंने कहा कि 47 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है. इसमें बिहार पहले स्थान पर है. हमें सोच बदलनी होगी. लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर देना होगा. वे शिक्षित होंगी, तो बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्या खुद समाप्त हो जायेगी. इस मौके पर श्री रावत ने बाल विवाह पर पुस्तक हम, हमारे बच्चे और हमारे कर्तव्य व पोस्टर का लोकार्पण किया. शुरुआत में महिला समाज कल्याण विभाग द्वारा बनायी गयी फिल्म बिहार की नारी दिखायी गयी. कार्यक्रम के दूसरे सत्र में बाल विषय पर पूरे दिन गहन विचार-विमर्श किया गया. अंतिम दिन गुरुवार को बाल विवाह की समस्या को दूर करने के लिए कार्ययोजना भी बनायी जायेगी.

पोस्टर का लोकार्पण करते समाज कल्याण मंत्री दामोदर रावत व अन्य.

तीन जिलों में चलेगा पायलट कार्यक्रम

पटना : बाल विवाह पर रोक के लिए महिला विकास निगम व समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के तीन जिलों में पायलट कार्यक्रम चलाया जायेगा. यह कार्यक्रम नवादा व गया के छह-छह, वैशाली के आठ प्रखंडों की 240 पंचायतों और 853 गांवों में चलाया जायेगा. यह जानकारी बुधवार को महिला विकास निगम की प्रबंधक निदेशक डॉ एन विजय लक्ष्मी ने दी. उन्होंने बताया कि बाल विवाह को जड़ से समाप्त करने के लिए यह एक कोशिश है. इस कार्यक्रम के लिए पहले तीन जिलों गया, नवादा व वैशाली का चयन किया गया है. सभी एसडीओ को बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी बनाया गया है. अनुमंडल पदाधिकारी के साथ -साथ स्वयं सहायता समूह के लोग गांव-गांव में जाकर लोगों को बाल विवाह के बारे में जागरूक करेंगे. यह छह माह का कार्यक्रम है, जो दिसंबर तक चलेगा. तीन जिलों में सफल होने पर इसे राज्य स्तर पर चलाया जायेगा.

PRABHAT KHABAR